न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी,
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 01/2021

विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वासुदेव नगर, दौसा जिला दौसा
.. अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार लवाण दिनांक 14.12.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम विनोद कुमार मि0नं0 66/2020 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः 28.7.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार लवाण जिला दौसा ने दिनाक 14.12.2020 को ग्राम जयरामपुरा तहसील लवाण के आ0ख0 443 में से 0.06 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं आरोपित शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमें में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार लवाण के समक्ष पटवारी हल्का गूगोलाव के द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने ग्राम जयरामपुरा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 443 रकबा 0.06है. पर फसल संवत 2077 रबी में मिटटी डालकर समतलीकरण कर रास्ता बनाया है। जिस पर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी होने पर दिनांक 14.12.2020 को अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को जवाब पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया उसी दिनांक 14.12.2020 को ही प्रकरण का निस्तारण कर अपीलांट को लगान का 50 गुणा आरोपित शास्ति एवं मौके से बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 656, 656/1, 656/1721 का सीमाज्ञान कर मौका देखा गया है, खसरा नंबर 443 की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। उसके बावजूद भी तहसीलदार लवाण द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है एवं जवाब व सबूत पेश करने का अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब व सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया ना ही पटवारी की रिपोर्ट पर पटवारी से जिरह का कोई अवसर दिया ना ही पटवारी की रिपोर्ट की नकल लेने का अवसर दिया एवं उसी दिन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के साक्ष्य एवं सबूत पेश करने के बाद ही आदेश पारित किया जाना था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं हुई तथा बिना प्रदर्शित हुए उक्त रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय कानून के विरूद्ध है। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपीलांट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरन्तर 2 पर

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा साक्ष्य एवं सबूत का अवसर देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से समय नहीं चाहा गया है। भू अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम के द्वारा ग्राम जयरामपुरा में अीलांट का अतिकमण पाया जाने पर तहसीलदार लवाण द्वारा निर्णय पारित कर अपीलांट को बेदखल करने एवं आरोपित शास्ति से दंडित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक बनियाना, पटवारी हल्का गूगोलाव व पटवारी हल्का नांगल गोविन्द के द्वारा दिनांक 23.11.2020 को ग्राम जयरामपुरा के चरागाह भूमि खसरा नंबर 443 किस्म चरागाह की मौका जांच करने पर पाया गया है कि अतिकमी के द्वारा 80 मीटर लंबी व 8 मीटर चौडी भूमि पर मिटटी समतलीकरण कर रास्ता बनाया गया है। अब अपीलांट की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का ग्राम जयरामपुरा के चरागाह भूमि खसरा नंबर 443 पर कोई कब्जा नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 443 पर कोई कब्जा नहीं होने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। उभयपक्ष की बहस से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि तीन राजस्व ग्रामों की सीमा पर स्थित है जिसकी पुनः जांच करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार लवाण द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लवाण को रिमांड कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत भूमि का संबंधित ग्रामों के हल्का पटवारियान एवं भू अभिलेख निरीक्षक की नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर अपीलांट की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जुलाई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा